



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी  
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**Indian Academy of Highway Engineers**  
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

IAHE/Admin/34 /AMC of AC/2022-23

Dated 20.03.2023

सूचना आमंत्रण कोटेशन (एनआई)

सेवा में

इंटरनेट / स्थानीय पूछताछ  
और आईएचई के बेनसाइट के माध्यम से  
पहचान की गई सूची के अनुसार

विषय: भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई) ए-5 सेक्टर-62, नोएडा के एसी सर्विस तथा मरम्मत करने के संबंध में।

महोदय,

आप कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निर्देशक आईएचई को 10.04.2023, 15:00 बजे तक अनुलग्नक-1 में दिए प्रारूप में तथा उपरोक्त कार्य के लिए बताए गए निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। इस कोटेशन में, एनआईक्यू का पत्र संख्या और दिनांक का उल्लेख करना है।

नियम और शर्तें

1. कोटेशन जमा करने वाली एजेंसी के पास पैन और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए एजेंसियों को 2 लिफाफे में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। पहले लिफाफे में पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और 5000/- रुपये की सेक्युरिटी डिपॉजिट एक अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी, नोएडा में देय के पक्ष में होगा। दूसरे में अनुबंध में दिए गए वित्तीय उद्धरण कोटेशन शामिल होंगे। पहला लिफाफा पहले खोला जाएगा और जिन एजेंसियों ने पैन कार्ड जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और सेक्युरिटी डिपॉजिट जमा की है वह दूसरा लिफाफे को खोलने के लिए पात्र होंगे यानि वित्तीय उद्धरण वाले लिफाफे। यह कार्य सबसे कम वित्तीय उद्धरण (कुल मूल्य) जमा करने वाली फर्म की दिया जाएगा। आईएचई एनआईक्यू संख्या IAHE/Admin/34/ AMC of AC/2022-23 दिनांक 20.03.2023 के जवाब में दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में डाल कर भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई) के एसी सर्विस तथा मरम्मत के संबंध में लिखकर जमा किया जाना है।

सुनील गुप्ता

सूचना ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं // Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष / Telephone / 0120-2975331/2

ईमेल / Email: [director-iahe@goi.gov.in](mailto:director-iahe@goi.gov.in) / Website: वेबसाइट: [iahe.org.in](http://iahe.org.in)



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी  
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**Indian Academy of Highway Engineers**  
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)


2. संभावित बोलीदाताओं को उदरण प्रस्तुत करने से पहले कार्य के दायरे को उचित रूप से समझने के लिए साइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. उद्धृत दरें प्रारंभिक आदेश के जारी होने से एक वर्ष के लिए लागू होनी चाहिए, जिसमें संतोषजनक सेवा के आधार पर वार्षिक आधार पर दो और वर्षों के लिए और विस्तार का प्रावधान है।
4. सभी आवश्यक वस्तुएं अनुमोदित ब्रांड/मेक की होनी चाहिए और निर्माता द्वारा दी गई उपयुक्त गारंटी होनी चाहिए। फेनिनसियल उद्धरण में उल्लिखित मात्रा केवल अनुमानित मात्रा है और आदेश से समय भिन्न हो सकती है। एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं और मात्राओं के लिए समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। एजेसी द्वारा उद्धृत दर पर किए गए कार्य की वास्तविकता मात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा। हालांकि आईएचई 100% भुगतान (ऐसी वस्तु जिनके लिए कोई वारंटी नहीं दी गई है) के लिए करेगी तथा संबंधित कार्य के पूरा होने के समय किए गए कार्य का भुगतान करेगी और शेष 25% आइटम की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा जैसा लागू हो अनुबंध में उल्लिखित है।
- 5 उद्धृत दरों में आईएचई, सेक्टर-62 नोएडा यूपी के परिसर में साइट तक आपूर्ति लोडिंग अनलोडिंग लाई और माल ढुलाई और सभी कर (जीएसटी इत्यादि) आदि शामिल होना चाहिए।
- 6 आईएचई द्वारा आदेशित सभी मदों का कार्य संबंधित आदेश जारी होने के साथ (07) दिनों के भीतर सभी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।
7. सात कार्य दिवसों के भीतर सफल एजेसी को जारी किए गए प्रारंभिक आदेश के एक वर्ष के बाद सिक्युरिटी डिपोजिट जारी किया जाएगा।
8. सभी मदों के लिए दरे (एनआईक्यू के अनुबंध-1 में उल्लिखित) एजेसी द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। यदि कोई एजेसी किसी भी मद को उद्धृत करने में विफल रहता है, तो उसको कोटेशन को अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कुल मूल्य के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध-1 में मात्रा कॉलम में उल्लिखित इकाइयों के अनुसार दरें उद्धृत की जानी चाहिए।
9. एजेसी को सौंपे गए संबंधित कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के साथ (07) दिनों के भीतर भुगतान चेक या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। कोटेशन में बैंक खाते का विवरण (खाताधारक का नाम खाते की प्रकृति, खाता संख्या, बैंक का नाम / शाखा) निर्दिष्ट किया जाएगा।
10. कार्य के दौरान अतिरिक्त सावधानी / सुरक्षा बरती जा सकती है और उपयुक्त सुरक्षा गियर का उपयोग किया जा सकता है। आईएचई काम के दौरान शारीरिक नुकसान या जीवन के नुकसान सहित

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष /Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: [director-iahe@gov.in](mailto:director-iahe@gov.in) /Website/ वेबसाइट: [iahe.org.in](http://iahe.org.in)



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी  
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**Indian Academy of Highway Engineers**  
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में भविष्य के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. कार्य के दौरान कार्यालय को संपत्ति की किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान, चाहे वह जानबूझकर या आकस्मिक हो, एजेंसी को वहन करना होगा।

12. यदि सफल बोलीदाता और आईएएचई के बीच या इस अनुबंध की किसी भी अवधि की व्याख्या के कारण या अन्यथा इस अनुबंध के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे आपसी सहमति से तय किया जाएगा अन्यथा निदेशक, आईएएचई का निर्णय सफल बोलीदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

13. आईएएचई बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्राप्त होने के बाद भी एनआईयू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. आईएएचई के एनआईयू LAHE / Admin/ 34 / AMC of AC/2021-22 दिनांक 20.03.2022 के प्रत्युत्तर में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएएचई) के एसी सर्विस तथा मरम्मत को उल्लेख करते हुए उद्धरण को सीलबंद लिफाफे में आईएएचई को दिनांक 10.04.2022 को 15.00 बजे कोटेशन प्रस्तुत किया जाना है।

15. हिन्दी के एनआईयू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्तों अथवा सामान के स्पेसिफिकेशन में तथा अंग्रेजी के एनआईयू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्त अथवा सामान के स्पेसिफिकेशन में कोई अंतर लगता है तो अंग्रेजी के एनआईयू को माना जाएगा।

16. यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

उप निदेशक (एसकेजी)

कृते निदेशक, आईएएचई

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष / Telephone / 0120-2975331/2

ईमेल / Email: [director-iahe@gov.in](mailto:director-iahe@gov.in) / Website / वेबसाइट: [iahe.org.in](http://iahe.org.in)